न्यायालय जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद।

दिनॉंकः-17 ,सितम्बर 2015

प्रेस-विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 1416/गोपनीय दिनॉकित 11.06.2015 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालयो के पीठासीन न्यायिक अधिकारियों के विरूद्व बढती हुई शिकायतो की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत द्वारा निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

1. अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारीगण के विरूद्व की गई शिकायत पर तब तक संज्ञान नही लिया जायेगा एवं कोई कार्यवाही नही की जावेगी जब तक कि उक्त शिकायत के समर्थन में शिकायत कर्ता द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित शपथपत्र दाखिल न कर दिया जावे तथा लगाये गये आरोपों के समर्थन में अपेक्षित सारभूत तथ्य/साक्ष्य शिकायत के साथ प्रस्तुत न कर दिये जावे।

2. उपरोक्त वर्णित शिकायत का परिशीलन करने के उपरान्त व शिकायत की सत्यता परखने के उपरान्त यदि उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जाना सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाता है तो उक्त शिकायत को अग्रेतर अग्रिम कार्यवाही के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित की जायेगी।

3. अधीनस्थ न्यायिक अधिकारीगण के विरूद्व की गई शिकायत में उपरोक्त वर्णित आवश्यकताओ का अनुपालन न करने की दशा में की गई अपूर्ण शिकायतो पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी तथा वे बिना कार्यवाही के दाखिल दफतर कर दी जायेगी।

आदेशानुसार

जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद District Judge
Ghaziabad

प्रतिलिपिः-

1. जनपद गाजियाबाद में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारीगण को सूचनार्थ प्रेषित
2. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय गाजियाबाद, कलक्ट्रेट गाजियाबाद व तहसील गाजियाबाद पर चस्पा करने के लिए नजारत विभाग जनपद न्यायालय गाजियाबाद को प्रेषित
3. नोटिस बोर्ड कलक्ट्रेट गाजियाबाद पर चस्पा करने के लिए नजारत विभाग जनपद न्यायालय गाजियाबाद को प्रेषित
4. नोटिस बोर्ड तहसील गाजियाबाद पर चस्पा करने के लिए नजारत विभाग जनपद न्यायालय गाजियाबाद को प्रेषित
5. जनपद न्यायालय गाजियाबाद की वैब साइट पर प्रकाशन हेतु कम्पयूटर विभाग जनपद न्यायालय गाजियाबाद को प्रेषित
6. स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित